प्रेस विज्ञप्ति

चिकित्सा विश्वविद्यालय के गांधी स्मॉरक एवं सम्बंध चिकित्सालयों में मरीजो के कल्याण हेतु उच्च गुणवत्ता की जेनरिक औषधि तथा चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा अधिकृत अमृत फार्मेसी (Affordable medication to reliable important for treatment) के साथ चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध किया गया। कैंसर और कार्डियो वैस्कुलर तथा अन्य रोगों से ग्रसित मरीजों को कम दरों पर औषधि तथा अन्य सर्जिकल उत्पादों को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोंण से भारत सरकार के केंद्रीय स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक महान योजना अमृत फार्मेसी का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत प्रथम अमृत फार्मेसी की स्थापना एम्स नई दिल्ली में दिनांक 15 नवम्बर, 2015 को किया गया। इस परियोजना का संचालन भारत सरकार के स्वामित्व वाली एच0एल0एल0 लाइफकेयर लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है, जो देश भर में अमृत फार्मेसियों की श्रृखंला की स्थापना और संचालन करने के लिए प्राधिकृत है।

ज्ञात हो कि मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आशुतोष टण्डन जी ने समस्त चिकित्सालयों को उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली जेनरिक दवायें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये थे, उसके अनुपालन में यह अनुबंध चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में अमृत फार्मेसी का यह सरकारी उपक्रमों मे पहला प्रयोग होगा। एम्स जैसी संस्थाओं मे यह फार्मेसी पहले से ही कार्यरत है।

उक्त फार्मेसी में कैंसर तथा अन्य गंभीर रोगो की औषधि , बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में देश के 17 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशो में कुल 84 अमृत फर्मेसी कार्य कर रही है। उक्त फार्मेसी में 164 कैंसर की दवाये तथा 191 कार्डियो वैस्कुलर दवायें, 360 प्रकार के कार्डियक और आर्थो इम्प्लांट्स तथा 5200 अन्य दवायें तथा सर्जिकल उत्पाद उपलब्ध होगें।

आज दिनांक 10 मई, 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ **किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और अमृत फार्मेसी के मध्य आपसी समझौता पत्र** हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता पत्र चिकित्सा विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति प्रो0 मदनलाल ब्रह्म भट्ट जी तथा एच0आर0एफ0 के इंचार्ज प्रो0 अजय सिंह की उपस्थिति में चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक तथा टी0 राजशेखर निदेशक (विपणन) एच0एल0एल0 लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा उक्त समझौत पत्र हस्ताक्षर किया गया। **यह समझौता पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानो में अपने प्रकार का पहला एवं अनूठा प्रयोग है।**

(**प्रो0 नरसिंह वर्मा**)
फैकल्टी इन्चार्ज, मीडिया सेल
चिकित्सा संकाय, केजीएमयू